प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 09.04.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** वारण्टी रामदेव पुत्र शंकर निवासी गगनई बाबू थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, का0 संदीप गुप्ता।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 132 वाहनों से 1,30,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 09.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 132 वाहनों से 1,30,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 11 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में अजा दिनाँक 09.04.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0 पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 11 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती विद्यावती देवी पत्नी रामचरन निवासी भैंसाखूट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्त नाम पता मतिभरन उर्फ रामसिंह यादव पुत्र दयाराम निवासी भैंसाखूट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। क्षेत्राधिकारी श्री अशोक कुमार मिश्रा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 215/2018 धारा 376(2)झ,452,506 भादवि, धारा 3/4 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मतिभरन उर्फ रामसिंह यादव उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376(2)(झ),452,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के अपराध के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त मतिभरन उर्फ रामसिंह यादव को अन्तर्गत धारा 376(2)(झ) भादवि में 11 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 452 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।